

एक शातिर अभ्यासतन अपराधी के विरुद्ध की गई जिलाबदर की कार्यवाही—

जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में शातिर अभ्यासतन अपराधी यशवन्त पुत्र अनिरुद्ध चौहान निवासी भैरोपुर थाना घोसी जनपद मऊ के विरुद्ध जिलाधिकारी मऊ द्वारा 06 माह के लिये जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है तथा चाल-चलन अच्छा न होने के कारण इनका स्वच्छन्द रहना जनहित में ठीक नहीं है।

एक शातिर जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार—

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.03.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पहसा से जिलाबदर अपराधी भृगुनाथ पुत्र रामपति निवासी पहसा थाना हलधरपुर मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध के विरुद्ध मु0अ0सं0 70/23 धारा 10 गुण्डा अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 25 व्यक्ति व एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 28.03.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा सत्यम सिंह निवासी कुड़सर, रामविलास व जयराम निवासीगण नंगवा, मिंटू राजभर निवासी समनपुरवा थाना हलधरपुर, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अरुण व राजेश निवासीगण बड़ापोखरा सलाहाबाद व आलोक, नीरज निवासी युसुफपुरा थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा रमेश, दिनेश निवासीगण कोल्हुआ, भीम चौहान निवासी परसिया थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा भीमसेन निवासी बरहदपुर, बृजेश चौहान निवासी शाहपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा प्रेमचंद राजभर, राजाराम निवासीगण खानपुर, मंजीत यादव, सतिराम निवासीगण अछार, विजय गुप्ता, अजय निवासीगण चांदमारी इमिलिया, अजय निवासी बकवल थाना सरायलखंसी व थाना कोपागंज पुलिस द्वारा मृत्युंजय, दिनेश, जीतू राजभर, अजय निवासीगण इटौराडोरीपुर व वारंटी अभियुक्त नवीउल्ला पुत्र मजरुल्लाह निवासी रहमतनगर थाना कोपागंज मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।